

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

—:आदेश:-

प्रार्थी के „खाता दुरस्ती,, प्रार्थना पत्र एवं पटवारी वायडी व भू.अ.नि...
 वायडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार र.न.रा.वा.प. / नायब
 तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर रा.भू. राजस्व
 अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम वायडी तहसील र.न.रा.वा.प.
 व जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् २०७५-२०७६ में खाता संख्या
 १० में वर्तमान में दस प्रविष्टि को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया
 जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश किये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	वायडी	१०	धरमा पुत्र काना मीठा	धरमा पुत्र काना मीठा

(
 उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
 खैरवाड़ा जिला उदयपुर
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

प्रतिलिपि:- २०२१/६७५

क्रमांक:-

दिनांक:- ३/१२/२१

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी धरमा पुत्र काना मीठा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(
 उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
 खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

परवारी रिपोर्ट / म. अ. रि.

मीजा बायडी खाता नं. $\frac{90}{2075-76}$ में खानेवाले का नाम धर्मवीर N. काना
सहकारिता के सुविधा विभाग की ज. अ. रि. संख्या, स्थाविक धरमा N. काना
के नाम से बने हुए अतः मीजा बायडी के खाता नं. 90 में खानेवाले का
नाम धर्मवीर N. काना के बजाय धरमा N. काना की दिशा जाना उचित है।

Dinesh
30/11/21
ILR बंजारा

परव. बायडी
सं. नं. ...
जि. उदयपुर (राज.)

तहसीलदार / नाम तहसीलदार

रिपोर्ट परवारी व अ. रि. के अनुसार खाता 90 में धर्मवीर पुत्र काना
के बजाय धरमा पुत्र काना दर्ज करने की अभिप्राय की जाती है।

तहसीलदार-खेरवाड़ा
जिला-उदयपुर

अप्रीश

तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार खाता 90 में धर्मवीर पुत्र काना
के स्थान पर धरमा पुत्र काना दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुर (राज.)